हेतु आईन्दा दिनांक 22/07/22 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी
दीगर कार्यो मे व्यस्त है, निसल इल्तवा
होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार
आईन्दा दिनांक 25/7/22 को पेश हो।

7/22 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारान वकील उप०। विप्रार्थी सं. 4, 7, 12 व 13 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जिसे शामिल मिसल किया जाता है। शेष विप्रार्थीगण के सम्मन तामिल शुदा प्राप्त होने के बावजूद भी उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुये अत: उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। उक्त अनतान पर उभयपक्षकारान की बहस सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन [illegible] करने योग्य है। अत: [illegible] से लिखत [illegible] का शामिल पत्रावली किया जाता [illegible] पत्रावली की [illegible] शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। जरिये [illegible] से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.08.27 14:30:20 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

क्रमांक / रीडर / 2022 / 962 दिनांक :— 27/7/22

प्रेषित :— तहसीलदार सेड़वा।

विषय :— राजस्व आवेदन संख्या 102 / 2022 अनवान हिमथाराम वगैरा बनाम किशनाराम वगैरा अन्तर्गत धारा 251 'ए' Rt Act में निर्णय की पालना बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उपरोक्त अनवान के प्रकरण में निर्णय दिनांक 25.07.2022 को पारित किया गया जिसकी प्रमाणित प्रति संलग्न कर लेख है कि निर्णय अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करे।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा
SDO

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.08.27 14:30:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

.धकारी –श्री रामजी भाई कलबी, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन :– 102/22 अन्तर्गत धारा 251 'ए' Rt Act

.नवान :–

प्रार्थीगण :– 1. हिमथाराम 2. हरखाराम 3. गेनाराम
4. धूड़ाराम पि. पीराराम 5. खींयाराम
6. रूपाराम पि. रामा 7. केसरी पत्नी रामा
8. शेरू पत्नी लाखाराम 9. हेमा पुत्र लिछमणा
जाति जाट निवासी सारला तहसील सेड़वा
10. मिरगो पत्नी खूमाराम 11. अनू पत्नी खेताराम
जाति जाट निवासी सारणों की नाड़ी
तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण :– 1. किशनाराम पुत्र जुगताराम 2. गवरी पत्नी हरजी
3. चुनाराम पुत्र अमराराम 4. जेठा पुत्र जेसा
5. तगाराम पुत्र हरजी 6. नरसींगाराम पुत्र जुगताराम
7. निम्बाराम पुत्र पुरखाराम 8. पनाराम पुत्र जुगताराम
9. भूरीदेवी पत्नी गुलाराम 10. रूपाराम पुत्र अमराराम
11. वरजूदेवी पत्नी अमराराम 12. समरथाराम
13. सामाराम पि. पुरखाराम 14. हरखू पत्नी जुगताराम
15. उमेदाराम पुत्र जुगताराम 16. केशाराम पुत्र अमराराम
जातियान जाट निवासी सारला तहसील सेड़वा
17. श्रीमान शाखा प्रबंधक एस.बी.आई. शाखा सेड़वा।
18. श्रीमान शाखा प्रबंधक बी.सी.सी.बी. शाखा सेड़वा।
19. श्रीमान तहसीलदार सेड़वा।

सहायक कलक्टर सेड़वा

वकील प्रार्थीगण :– श्री ज्येष्ठ कुमार

वकील विप्रार्थी सं. 4,7, व 12 से 13 :– श्री मुकीम खान समेजा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.08.27 14:30:20 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांक 25.07.2022

प्रार्थीगण हिमथाराम पुत्र पीराराम वगैरा जाति जाट निवासी सारला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षेप

सहायक कलक्टर
SDO सेड़वा

है कि प्रार्थीगण एक काश्तकार है। प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जाशुदा रला पटवार हल्का सारला भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सारला तहसील सेड़वा के 109 रकबा 7.5757 हैक्ट. भूमि का आया हुआ है जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा है। तथा अपने रहवासी हेतु ढाणियों, टांके व मवेशियों के बाड़ आदि बने हुए है। ीगण की जोत व ढाणियां पर आने जाने के लिए विप्रार्थीगण के खातेदारी का खेत खसरा संख्या 110 रकबा 5.1881 हैक्ट. मौजा सारला पटवार हल्का सारला भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सारला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर के खेत के बीचों बीच डामर सड़क हरपालिया से सारला सड़क मार्ग चलता है। जो प्रार्थीगण की जोत पर आने जाने हेतु कोई रास्ता नही है। एवं काश्त के समय प्रार्थीगण की जोत खसरा संख्या 109 के चारों ओर के काश्तकार अपनी काश्त कर लेते है जिससे प्रार्थीगण को अपनी जोत से सड़क मार्ग जाने के लिए बाधित हो जाते है। एवं हर बार रास्ते को लेकर भारी विरोध होता है। झगड़ा होने की संभावना बनी रहती है। जिस हेतु प्रार्थीगण द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर इस्तदुआ चाही गई।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। विप्रार्थी संख्या 4, 7, 12 व 13 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकीम खान समेजा ने जवाब पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है। विप्रार्थी वकील द्वारा प्रस्तुत जवाब निम्नानुसार है– विप्रार्थी संख्या 1 से 16 का खातेदारी का खेत खसरा संख्या 110 क्षेत्रफल 5.1881 में से डामर सड़क अवश्य निकलती है लेकिन राजस्व रेकर्ड में उक्त मार्ग कटाण नही, उक्त डामर सड़क विप्रार्थीगण के खेत में अतिक्रमण है जिसको हटाने की कार्यवाही चल रही है। प्रार्थीगण ने उक्त सड़क का सहारा लेकर रास्ते की मांग की है जो गलत है, क्योंकि उक्त सड़क राजस्व रेकर्ड में कटाण ही नहीं है जब मौके पर कटाण ही नहीं है तो उसके आगे का रास्ता प्राप्त करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थीगण विप्रार्थीगण के खातेदारी जोतों में से रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। विप्रार्थीगण के आपस में भूमि विवाद को लेकर न्यायालय में बटवाड़े पर वाद विचाराधीन है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 110 पर न्यायालय का स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। विप्रार्थीगण पक्षकारान के मध्य बंटवाड़ा होने पर सभी सहखातेदारों को रास्ता देते हुए बंटवाड़ा करवाया जाएगा तब प्रार्थीगण को भी सेढ़ा पडौसी होने के कारण बंटवाड़े के साथ रास्ता उपलब्ध करवाये तब उनके सेढ़े तक स्वतः रास्ता चला जायेगा। प्रार्थीगण ने विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से जिस जगह पर प्रस्तावित रास्ते की मांग की है वहां पर विप्रार्थीगण की सिंचित जमीन है तथा वहां से रास्ता देने पर जब आपस में बंटवाड़ा करवाया जायेगा तब वो रास्ता हमारे काम में नहीं आयेगा। इसलिए विप्रार्थीगण के न्यायालय में विचाराधीन वाद अनवान जेठाराम बनाम नरसिंगा वगैरा के निर्णय होने तक प्रार्थीगण के आवेदन पर विचार नहीं किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.08.27 14:30:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
SDO सेड़वा

समक्ष जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र गलत् एवं पर आधारित होने से मय खर्चा खारीज फरमाया जावें। शेष विप्रार्थीगण के शुदा प्राप्त होने के बावजुद भी उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ अतः द्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा चाहे गये संबंध में मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया जिस पर तहसीलदार सेड़वा को चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट तैयार कर भिजवाने हेतु लिखा गया।

उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित हुए। तहसीलदार सेड़वा से उक्त चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा प्राप्त प्राप्त हुई, जो शामिल पत्रावली की गई। मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम सारला के खातेदार हिमथाराम, गेनाराम, पुरखाराम, धुड़ाराम पि. पीराराम वगैरा जाति जाट निवासी सारला के खातेदारी खेत खसरा संख्या 109 रकबा 7.5757 हैक्ट. किस्म बारानी सोयम में आने जाने के लिए विप्रार्थीगण किशनाराम वगैराह के ग्राम सारला के खसरा संख्या 110 रकबा 5.1881 हैक्ट. किस्म बारानी अव्वल में से होकर डामर सड़क मार्ग तक पहुंचने हेतु रास्ते की मांग की है। प्रार्थीगण द्वारा मांगे प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम विकल्प उपलब्ध नहीं है। रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि आवागमन योग्य है तथा खसरा संख्या 110 के पूर्वी सेढ़े पर मार्ग प्रस्तावित किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है–

क्र. सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा संख्या	रकबा हैक्ट. में	रास्ते की ल0 व चौड़ाई फीट में	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	मौजा	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	जेठा वल्द जेसा 1/2 वरजूदेवी पत्नी अमराराम भूरीदेवी पत्नी गुलाराम केशाराम, रूपाराम, चूनाराम पि. अमराराम वरजूदेवी पत्नी अमराराम नरसिंगाराम, रूपाराम भेराराम दीपाराम, केशाराम पि. गुलाराम भूरीदेवी पत्नी गुलाराम नीम्बाराम, सामाराम समर्थाराम पि. पुरखाराम नरसिंगाराम उमेदाराम, किशनाराम, पनाराम पि. जुगताराम हरखू पत्नी जुगताराम तगाराम वल्द हरजीराम गवरी पत्नी हरजीराम जाति सा0 सारला खातेदार रहन–अमरा व वरजू का हि0 बी.सी.सी.बी. शाखा सेडवा व जेठा का एस.बी.बी.जे शाखा सेड़वा	110	5.1881 हैक्ट.	34 गट्ठ * 03 गट्ठ	0.0405 हैक्ट.	सारला	6507/–	बा. अव्वल

प्रार्थीगण ने अपने खातेदारी खेत खसरा संख्या 109 रकबा 7.5757 हैक्ट. में आने जाने हेतु विप्रार्थीगण के खसरा संख्या 110 रकबा 5.1881 हैक्ट. के पूर्वी सेढ़े पर रास्ते की मांग की

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.08.27 14:30:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सेड़वा

..सरा संख्या 110 में से गुजरती है उक्त सड़क विप्रार्थीगण की खातेदारी में ..जसे संलग्न नक्शे में बरंग लाल से दर्शाया गया है। उक्त प्रस्तावित रास्ते में .. का कीमती पेड़, मकान आदि नहीं है। वर्तमान में रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि मौके ..ा है। उस पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा मांगे गये प्रस्तावित .. के अलावा निकटतम एवं सुगम वैकल्पिक अन्य रास्ता उपलब्ध नहीं है। ग्राम सारला

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । सलंग्न दस्तावेजों एवं मौका रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन किया गया। मौका रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधा जनक उपभोग के लिए नहीं है। इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है।

अतः प्रार्थीगण की मांग उचित प्रतित होती है और प्रार्थीनी को जो रास्ता दिया जाना है न्याय संगत है। प्रार्थीगण को जो रास्ता दिया जाना है। उसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा संख्या	रकबा हैक्ट. में	रास्ते की चौड़ाई फीट में	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	मौजा	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	किशनाराम वगैरा	110	5.1881 हैक्ट.	20 फिट	0.0405 हैक्ट.	सारला		बा.अव्वल

प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस व फर्द मौका में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थीगण द्वारा वर्णित उपरोक्त 110 रकबा 5.1881 हैक्ट. के अंदर से जो रास्ता चाहा गया है वह आंशिक नक्शा में लाल रंग से दर्शाया गया रास्ता प्रार्थीगण को दिया जाता है और इस प्रस्तावित नए मार्ग में कोई मकान व कीमती पेड़ और न ही किसी प्रकार का बेरा/टांका बना हुआ है।

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी/डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थीगण को रास्ता दिया जा सकता है। और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित ... में ही तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि ... होगा। ... आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थीगण के आवेदन की गंभीरता व ... (b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित ... आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1) ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.08.27 14:30:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
सेड़वा

सहायक कलक्टर
SDO सेड़वा

को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द ...शिक नक्शा ट्रेस लाल रंग से दर्शाया गया 20.00 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण के ... जाने का आदेश दिया जाता है। तथा क्षतिपूर्ति की राशि डीएलसी दर की दो गुनी ...र्थीगण विप्रार्थीगण को अदा करेगें। मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा निर्णय का अनिवार्य ...ग रहेंगे। तथा प्रार्थीगण को उपरोक्त खसरान में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :–

1. तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में संलग्न आंशिक नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया है प्रस्तावित नए रास्तें में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुना राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी। जिसमें प्रत्येक पक्षकार को देय राशि की अलग अलग गणना की जायेगी।
2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकारों (विप्रार्थीगण) को नए रास्तें में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में किया जो डीएससी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुना के बराबर होगी।
3. प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्तें में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थीगण (प्रभावित पक्षकारों) को प्रदान करने के उपरान्त ही तहसीलदार सेड़वा द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। तहसीलदार द्वारा इस बात का विनिश्चिय किया जाएगा कि विप्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो चुकी है। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर क्षतिपूर्ति राशि लेने से इन्कार करता हो तो प्रार्थी द्वारा तहसीलदार को प्रस्तुत की जावेगी। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जावेगी।
4. नए प्रस्तावित 20 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।
5. प्रार्थीगण को उक्त 20 फीट चौड़े रास्ते ... रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार ... खसरों में से कम करते हुए राजस्व रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का ... रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.08.27 14:30:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
सेड़वा

सहायक कलक्टर
SDO सेड़वा

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थीगण को नया रास्ता दिए जाने ...आज दिनांक 25.07.2022 को आदेश किया जाता है। मौका फर्द मय नक्शा निर्णय ...ा अनिवार्य अंग रहेंगे। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार सेड़वा को लिखा जावें। ...त्रावली फैसला शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

(रामजी भाई कलबी)
सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.08.27 14:30:20 IST
Reason: SelfAttested